तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22/2/2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील अपीलान्ट उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि अपीलान्ट 1 व अपीलान्ट 2 के पिता ने जरिये विक्रय पत्र प्रश्नगत भूमि क्रय की है। विक्रय पत्र में सही नाम अंकित है परन्तु अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज एवं तस्दीक करते समय अपीलान्ट 1 व अपीलान्ट 2 के पिता के गलत नाम स्वीकार किये गये। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे। अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में प्रश्नगत विक्रय पत्र पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गयी।	

बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 818 में अपीलान्ट 1 व अपीलान्ट 2 के पिता का दीप सिंह व खेतसिंह अंकित है जबकि इनके नाम विक्रय पत्र में दिलीप सिंह व रेवत सिंह है। अपीलान्ट का कथन कि अपीलान्ट का सही एवं पूरा नाम दिलीप सिंह व रेवत सिंह है की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरकरण संख्या 818 निर्णय दिनांक 25.11.1978 ग्राम गांवडी हाल ग्राम वल्लभदासपुरा में कालम सं0 11 में अपीलान्ट 1 का नाम **दीप सिंह** व अपीलान्ट 2 के पिता का नाम खेतसिंह के स्थान पर क्रमशः **दिलीप सिंह व रेवत सिंह** दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:06:59 IST
Reason: SelfAttested